कैलाश   N/S   मोहनी 88/2018

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश के अनुपालना संक्षिप्त नोट
8/9/20	पक्षकारान उप॰। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल वास्ते आदेश दिनांक 17/9/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर	
17/9/20	पक्षकारान उप॰। वकील वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर	

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादी **राजस्व वाद संख्या 88/2018**

कैलाशराम दत्तक पुत्र मोहनी व मांगीलाल, जाति जाट,
निवासी दुगस्ताउ, तहसील जायल, जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मोहनी पत्नि मांगीलाल, जाति जाट,
2. उगमाराम पुत्र चेनाराम जाति जाट,
   निवासी दुगस्ताउ, तहसील जायल, जिला नागौर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी व विभाजन, अधीन धारा 88 व 53 राज. टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता : –

1. वादी की ओर से जीयाराम गोदारा, एडवोकेट
1. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री शिवकुमार पाराशर एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 3 के ईकतरफा कार्यवाही है।

– : : निर्णय : : –

दिनांक 17/09/2020

वादी के वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार हैं कि वादी ने अपनी वंशावली तथा वाद में संशोधित वंशावली वादपत्र में दर्शाते हुये वाद पत्र बाबत् घोषणा खातेदारी व विभाजन खेताय के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 का जरिये रजिस्र्ड गोदनामा गोदपुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 2 का जायंदा पुत्र है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमियां ग्राम दुगस्ताउ तहसील जायल में खसरा नं. 1181 रकबा 6.14 बीघा खसरा नं. 1334 रकबा 5.17 बीघा तथा खसरा नं. 500 रकबा 15.04 बीघा आई हुई है। प्रतिवादी संख्या 2 की भूमियां अलग आई हुई है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने मुतदाविया खेतायों का बंट कर वाद

सहायक कलक्टर
(उ. खं. अ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

के पैरा संख्या 5 के अनुसार कर लिया है। जिसमें वादी ने इस्तदुआ चाही है कि यदि यह विभाजन नही माना जावे तो वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे तथा इस विभाजन का राजकीय रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को आदेश जारी करावे। इस बाबत् राज्य सरकार को आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार जायल को भी पक्षकार बनाया है।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता ने वकालत नामा मय ईकबाली जबाव दावा पेश कर वाद से सहमति जताई तथा प्रतिवादी संख्या 3 के बावजूद तामील गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का इकबालिया जवाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से तनकीयात कायम नहीं की गई तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में शपथ पत्र वादी कैलाश तथा प्रतिवादी मोहनी के पेश किये। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल खतौनी संवत 2072 से 2075 प्रदर्श–1 तथा गोदनामा की प्रति प्रदर्श–2 व नकल जमाबंदी सम्वत् 2056–2058 प्रदर्श–3, नकल नामान्तकरण संख्या 806 स्वीकृत दिनांक 06.06.2001 प्रदर्श–4 की। वकील वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने तथा पत्रावली में बहस हेतु निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर साक्ष्यवादी बन्द की गई तथा मिसल वास्ते बहस नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जबाब पर मनन किया गया। प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 3 जो कि राजपैरोकोर है के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। बंटवाड़े के दावे में पक्षकारो के हिस्सों का संलग्न जमाबंदी अनुसार बंट किया जाता है एवं हस्तगत प्रकरण में समस्त पक्षकारान वाद में संयाजित है। इस प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या वादी प्रतिवादी मोहनी का गोद पुत्र है। तथा वह सहखातेदार होकर विभाजन करवाने का हकदार है साथ ही माफिक वाद अनुसार डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है। गोदनामा प्रदर्श 2 के अवलोकन से वादी प्रतिवादी मोहनी का गोदपुत्र होना स्पष्ट है। साथ ही वादग्रस्त भूमि पक्षकारो की पुश्तैनी होना नकल जमाबंदी प्रदर्श–1, 3, 4 से साबित है, परन्तु माफिक वाद पैरा संख्या 5 के अनुसार विवादग्रस्त खेताय के विभाजन को साबित करने के लिए उक्त साक्ष्य पर्याप्त नहीं है। क्योंकि वादी ने संपूर्ण भूमि अपने बंट में रखना

सहायक कलक्टर
उप. खं. अ.) जायल (नागौर

Scanned with CamScanner

कथन किया है जो न्यायालय मत में उचित प्रतीत नही होता है। अतः हमारी राय में वादी अपने वादपत्र को पूर्णतः साबित करने में सफल नही रहा है। अत वाद वादी अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.एक्ट 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादी कैलाशराम को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुये डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : :–

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पूर्णतः साबित नहीं होने से आंशिक स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी कैलाशराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 मोहनी की संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी में ग्राम दुगस्ताउ तहसील जायल के खसरा नं. 1181 रकबा 6.14 बीघा खसरा नं. 1334 रकबा 5.17 बीघा तथा खसरा नं. 500 रकबा 15.04 बीघा घोषित की जाती है।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा तैयार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को तहरीर वास्ते राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद जारी हो।

17/09/2020
(रवीन्द्र कुमार)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल

निर्णय आज दिनांक 17/09/2020 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से सरे इजलास सुनाया गया।

17/09/2020
(रवीन्द्र कुमार)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner

डिक्री वमूकद्दमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला–नागौर
बइजलास श्री रवीन्द्र कुमार (आर0ए0एस0)

वादी

राजस्व वाद संख्या 88/2018

कैलाशराम दत्तक पुत्र मोहनी व मांगीलाल, जाति जाट,
निवासी दुगस्ताउ, तहसील जायल, जिला नागौर

बनाम

तिवादीगण

1. मोहनी पत्नि मांगीलाल, जाति जाट,
2. उगमाराम पुत्र चेनाराम जाति जाट,
   निवासी दुगस्ताउ, तहसील जायल, जिला नागौर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी व विभाजन, अधीन धारा 88 व 53 राज. टिनेन्सी एक्ट

पस्थित अधिवक्ता : –

1. वादी की ओर से जीयाराम गोदारा, एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री शिवकुमार पाराशर एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 3 के ईकतरफा कार्यवाही है।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री जियाराम गोदारा व प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री शिवकुमार पाराशर की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :–

1. वादग्रस्त भूमियां ग्राम दुगस्ताउ तहसील जायल के खसरा नं. 1181 रकबा 6.14 बीघा खसरा नं. 1334 रकबा 5.17 बीघा तथा खसरा नं. 500 रकबा 15.04 बीघा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी, हक बंट कब्जा काश्त में घोषित किया जाता है।

आज की तारीख लीज – मुबलिक – बाबत् – खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर – फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक – को अदा करें। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 17/09/2020 को जारी किया गया।

(रवीन्द्र कुमार)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमी नर		
फीस कमी नर			बाबत् इजराय हुक्मीजान		
बबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(रवीन्द्र कुमार)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner